FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

सराहनीय कार्य साइबर सैल व थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद दिनांक 01-11-2026

इन्श्योरेन्श पॉलिसी के नाम पर आम जनता से साइबर ठगी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

- **फर्जी/म्यूल खातों से चैक व एटीएम द्वारा निकालते थे ठगी की रकम।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तो से 10 मोबाइल फोन, 17 सिमकार्ड, 10 चैकबुक, 10 पासबुक, 08 एटीएम कार्ड और भारी मात्रा में कूटरचित दस्तावेज व 01 किआ सोनेट कार बरामद।**
- **गिरोह द्वारा 50 से अधिक खातों के माध्यम से 1 करोड रुपये से अधिक की धनराशि की निकासी की गयी है।**
- **फर्जी फर्म व फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से खुलवाते थे बैंको में खाते।**
- **अभियुक्तों से प्राप्त खातों पर अब तक 70 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें है दर्ज।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद में साइबर क्राइम एवं ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम सेल व थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1145/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस, में 05 अभियुक्तों 01. अजीत प्रताप सिंह 02. राजू कुमार 03. एदल सिंह 04. महेन्द्र कुमार व 05. सुरेश को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटनाओं में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन, 17 सिमकार्ड, 10 चैकबुक, 10 पासबुक, 08 एटीएम कार्ड और कूटरचित दस्तावेज व अन्य सामग्री बरामद की गयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का विवरण

दिनांक 01.11.2026 को उ0नि0 राजकुमार गौतम अपनी टीम के साथ जैन मन्दिर के पास संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह एक काली Kia Sonet कार से सी0एल0 जैन कॉलेज के पास सर्विस रोड पर खड़ा है। पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर कार को घेरा और उसमें सवार 05 व्यक्तियों को पकड़ लिया। तलाशी में कार की पिछली सीट पर रखे पारदर्शी प्लास्टिक बैग से मोबाइल फोन, पासबुक, चैकबुक, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए, जिनके बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने ठगी की बात स्वीकार दिनांक 01.11.2026 को उ0नि0 राजकुमार गौतम अपनी टीम के साथ जैन मन्दिर के पास संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर रहे थे।

मोडस ऑपरेन्डी

- गिरोह के सदस्य आम जनता के लोगों से पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी करते थे।
- ठगी की रकम फर्जी/म्यूल बैंक खातों में मँगाई जाती थी और उसे चैक व एटीएम के माध्यम से निकाल लिया जाता था।
- गिरोह का सरगना अजीत प्रताप उर्फ बन्टू नए-नए लोगों को ढूँढकर उनके आधार और पैन कार्ड में नाम-पता बदलवाता था।
- आधार कार्ड में पता बदलकर ये लोग नए-नए शहरों में अपने ठिकाने बनाते थे और अलग-अलग जनपदों के विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे।
- फर्जी फर्मों के नाम पर करेन्ट खाते खुलवाए जाते थे, जिनका उपयोग साइबर ठगी की धनराशि निकालने में किया जाता था।
- राजू कुमार ने सुहाग नगर फिरोजाबाद में दुकान किराए पर लेकर "श्री गणेश ट्रैवल्स एण्ड कार्गो" नाम की फर्म बनाई और उसके नाम से कई बैंकों में करेन्ट खाते खुलवाकर ठगी की रकम निकाली।
- खातों से रकम निकालने वाले सदस्य अपना कमीशन काटकर शेष रकम अजीत को देते थे।
- रकम निकालने के लिए गिरोह ने ठगी के पैसों से फर्जी पते पर यह Kia Sonet कार खरीदी थी।

गिरफ्तारी का स्थान और समय।

सुहागनगर चौराहे से सर्विस रोड पर सी0एल0 जैन इण्टर कॉलेज के पास, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण।

1. **अजीत प्रताप उर्फ बन्टू** पुत्र ज्ञान सिंह, निवासी बी-34 शान्तिनगर, थाना कमलानगर, जनपद आगरा।
2. **ऐदल सिंह** पुत्र करन सिंह, निवासी ग्राम जनसोही, थाना सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस।
3. **सुरेश** पुत्र रामखिलाड़ी, निवासी थाने के सामने, बड़ी बस्ती, थाना कारारोल, जनपद आगरा।
4. **महेन्द्र** पुत्र प्रेमचन्द्र, निवासी नगला महादेव, फ्रीगंज, थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा।
5. **राजू कुमार** पुत्र भरोसीलाल, निवासी 19/8 बी/4 पीर कल्याणी पालीवाल, थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण

- 10 अदद मोबाइल फोन।
- 17 अदद सिमकार्ड (VI-02, Airtel-02, Jio-03, BSNL-01, अन्य-09)।
- 10 अदद चैकबुक।
- 10 अदद बैंक पासबुक।
- 08 अदद एटीएम कार्ड।
- 07 अदद आधार कार्ड, 05 अदद पैन कार्ड।
- 01 अदद डायरी, जिसमें खाता संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर और लेन-देन का विवरण दर्ज है।
- 01 अदद Kia Sonet कार, रजिस्ट्रेशन नं0 UP80JH3139 (राजू कुमार के नाम पंजीकृत)।

पंजीकृत अभियोग एवं विधिक कार्यवाही

- थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 318(4) / 338 / 336(3) / 340(2) / 61(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
- अभियुक्तों के बैंक खातों और अन्य ठगी की घटनाओं की जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- निरी0 श्री योगेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- उ0नि0 उदय सिंह, प्रभारी साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- उ0नि0 अर्जुन राठी, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- उ0नि0 राजकुमार गौतम, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- उ0नि0 अंकुर कुमार, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- उ0नि0 अनु चौधरी, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- मु0आ0 917 हेमेन्द्र प्रताप सिंह, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- आ0 1097 अतुल भार्गव, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- आ0 1014 अंशुल बालियान, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- आ0 1437 लोकेश तालियान, साइबर सैल, जनपद फिरोजाबाद।
- कां0 601 जीतेश कुमार, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- कां0 175 दिलीप कुमार, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- कां0 287 अनुज कुमार, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।
- कां0 1341 सचिन कुमार, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद।

जनहित अपील: पॉलिसी, बोनस या किसी भी लालच के नाम पर आने वाले फोन/लिंक पर भरोसा न करें और अपने आधार, पैन, बैंक खाते या सिम किसी को न दें। साइबर ठगी होने पर तुरन्त **1930** पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।